O/o E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 2504
Date 20 SEP 2022

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि, में
अपीलीय अधिकारी श्री के.के.भौरासे, महाप्रबंधक (मा.सं.)

(अपील प्र.क. 03/2022 दिनांक 17.08.2022)

क्रमांक :– 01–01/अ.प्र.क./03/2022/1091 रायपुर, दिनांक 19 SEP 2022

श्री हितेश पात्र अपीलार्थी
महासमुन्द

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार उत्तरवादी
जनसूचना अधिकारी

–:: आदेश ::–
(दिनांक 19/09/2022 को पारित)

अपीलार्थी श्री हितेश पात्र ने यह अपील जनसूचना अधिकारी, सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)–दो, के निर्णय दिनांक 01.08.2022 से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

(2) – प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :–

(I)	सूचनाधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी ।	कनिष्ठ अभियंता, ब्रांच (इलेक्ट्रीकल) भर्ती परीक्षा के संबंध में निम्न जानकारी :– (1) मेरा हितेश पात्र रोल नंबर 15261400056 के आंसरशीट की प्रति। (2) उक्त पद के लिये पिछड़ा वर्ग से चयनित समस्त अभ्यार्थियों के आंसरशीट की प्रति एवं उनके प्राप्तांकों की जानकारी। (3) उक्त पद के लिये सामान्य वर्ग से चयनित समस्त अभ्यार्थियों के आंसरशीट की प्रति एवं उनके प्राप्तांकों की जानकारी। (4) उक्त परीक्षा से संबंधित मॉडल आन्सर शीट की प्रति।	
(II)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी की अपील :–	जन सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी से असंतुष्ट हूँ। अतः मुझे चाही गयी जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध करायी जाए।	
(iii)	अपील की सुनवाई तिथि	निर्धारित तिथि	कार्यवाही विवरण :–
		15.09.2022	जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी उपस्थित हुए। दोनों के तर्क कथन सुने गए। अतः प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही संपन्न हुई।
(IV)	सूचनाधिकार के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही तथा तर्क :–		जनसूचना अधिकारी का तर्क/कथन कि अपीलार्थी को चाही गयी जानकारी के संबंध में निर्धारित समयावधि के भीतर पत्र क्रमांक 205 दिनांक 01.08.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) पद पर भर्ती वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। अतः जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। तथापि उक्त भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् आपके द्वारा नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करने पर आपको सूचनाधिकार में निहित प्रावधानों के अंतर्गत जानकारी प्रदान किए जा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन समयावधि में कनिष्ठ

			अभियंता पद पर भर्ती प्रक्रियाधीन थी। अतः अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी है। चूंकि वर्तमान में कनिष्ठ अभियंता पद पर भर्ती पूर्ण हो चुकी है। अतएव भर्ती परीक्षा से संबंधित जानकारी पॉवर कंपनी के वेबसाइड WWW.CSPCL पर उपलब्ध है। बिन्दु कमांक 01 में चाही गयी आंसर शीट की प्रति अपीलार्थी को पूर्व में ही उनके पंजीकृत ई—मेल में लिंक के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी थी। यद्यपि वर्तमान में आंसर शीट की प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अतः उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। बिन्दु कमांक 04 में चाही गयी जानकारी बिन्दु 01 के उल्लेखानुसार समाहित है। बिन्दु कमांक 02 एवं 03 की जानकारी परव्यक्ति से संबंधित है, जिसे धारा 8(1)(J) के अंतर्गत देने की बाध्यता नहीं है। इसी अनुकम में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील कमांक 10044/2010 अन्य विरूद्ध दिनांक 13.11.2019 **CPIO, Supreme Court Of India V. Subhash Chandra Agarwal** के प्रकरण में यह लेख किया गया है कि **Reading of the aforesaid judicial precedents, in our opinion, would indicate that personal records, including name, address, physical, mental and psychological status, marks obtained, grades and answer sheets, are personal information,** अतः पारित निर्णय के अनुसार उक्त जानकारी प्रदान किया जाना संभव नहीं है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सूचनाधिकार के अंतर्गत श्री योगेन्द्र पाल सिंह, कोरबा द्वारा आवेदन दिनांक 19.07.2019 के माध्यम से सहायक प्रबंधक (एच.आर.) भर्ती में साक्षात्कार हेतु चयनित उम्मीदवार का रोल नबंर, नाम तथा कम्प्यूटर आधारित परीक्षा का अंक एवं साक्षात्कार अंक की जानकारी की मांग की गयी थी। तत्संबंध में अपीलार्थी को उनके स्वयं के कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के अंक व साक्षात्कार के अंक, ST संवर्ग के कट ऑफ मार्क्स एवं साक्षात्कार हेतु चयनित उम्मीदवारों का नाम, रोल नबंर की जानकारी उपलब्ध करायी गयी है। तथा भर्ती में साक्षात्कार हेतु चयनित उम्मीदवार का क्म्प्यूटर आधारित परीक्षा का अंक एवं साक्षात्कार की अंक की जानकारी को धारा 8(1)(ञ) के अतंर्गत लोकहित में नहीं होने से जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी है। तत्संबंध में अपीलार्थी श्री योगेन्द्र पाल सिंह द्वारा माननीय छ.ग. राज्य सूचना आयोग, नवा रायपुर के समक्ष द्वितीय अपील प्र.क. A/431/2020 दर्ज किया गया था। माननीय सूचना आयोग द्वारा अपील आदेश दिनांक 27.05.2022 के

			माध्यम से प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जनसूचना अधिकारी के द्वारा प्रकरण में जो कार्यवाही की गयी है को उचित व अधिनियम के प्रावधानुसार मानते हुए दर्ज द्वितीय अपील को नस्तीबद्ध किया गया है।
(V)	अपील सुनवाई के दौरान अपीलार्थी का तर्क :–		बिन्दु 01 एवं 04 में चाही गयी स्वयं की आंसरशीट एवं परीक्षा से संबंधित मॉडल आन्सर शीट की जानकारी उन्हे उपलब्ध करायी जाए।
(VI)	जनसूचना अधिकारी का पक्ष कथन :–		अपीलार्थी द्वारा वांछित आंसरशीट एवं मॉडल आन्सर शीट की प्रति न तो Hard Copy और न ही Soft Copy में इस कार्यालय में उपलब्ध है। अतः जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। अतएव लेख है कि सूचनाधिकार के अंतर्गत वही जानकारी उपलब्ध करायी जा सकती है जो कार्यालय में उपलब्ध हो।

(3) – प्रकरण में आये तथ्यों एवं तर्को से ऐसा प्रतीत होता है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा जो कार्यवाही की गयी है वह विधि संगत है।

सूचनाधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा कनिष्ठ अभियंता, (इलेक्ट्रीकल) भर्ती परीक्षा के संबंध में जानकारी की मांग की गयी है। चूंकि भर्ती कार्यवाही तत्कालीन समयावधि में प्रकियाधीन थी। अतः भर्ती कार्यवाही की गोपनीयता के दृष्टिगत जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी है जो विधिसंगत है। जनसूचना अधिकारी द्वारा दिये गये तर्क के दृष्टिगत बिन्दु कमांक 01 एवं 04 की जानकारी यथा आंसरशीट एवं मॉडल आन्सर शीट की प्रति न तो Hard Copy और न ही Soft Copy में इस कार्यालय में उपलब्ध है, अतः प्रदान किया जाना संभव नहीं है। सूचनाधिकार के अंतर्गत वही जानकारी उपलब्ध करायी जा सकती है जो उपलब्ध हो। बिन्दु कमांक 02 एवं 03 की जानकारी परव्यक्ति से संबंधित है जिसे धारा 8(1)(j) के अंतर्गत देने की बाध्यता नहीं है। भर्ती में सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग में चयनित समस्त प्रतिभागी उम्मीदवारों की आंसर शीट एवं प्राप्त किए गये अंक को किसी तृतीय पक्ष को बताया जाना उस स्थिति में उचित एवं तर्कसंगत नही है, जब परीक्षा के कई आधारों को गोपनीय रखा जाता है। तथापि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील कमांक 10044/2010 अन्य विरूद्ध दिनांक 13.11.2019 **CPIO, Supreme Court Of India V. Subhash Chandra Agarwal** के प्रकरण में पारित निर्णय तथा माननीय छ.ग. राज्य सूचना आयोग, नवा रायपुर के द्वितीय अपील प्र.क्र. A/431/2020 के दृष्टिगत जानकारी प्रकट किया जाना संभव नहीं है। उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत दर्ज अपील एतद् द्वारा नस्तीबद्ध किया जाता है।

(के.के.भौरासे)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक– 0771–2574700

प्रतिलिपि :–(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि. रायपुर।
(2) श्री हितेश पात्र, ग्राम व पोस्ट– तोषगॉव बाजार पंड़ाव, तहसील –सराईपाली, जिला –महासमुन्द (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
(3) कार्यपालक निदेशक (EITC) छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव, छ0 ग0 राज्य सूचना आयोग, अटल नगर, नवा रायपुर